"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015— भाद्रपद 27, शक 1937

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–34/2015/स्था./चार.– छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2015) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को उनके जिले में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

No. F 1-34/2015/Estt./Four.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005 (No. 24 of 2015), the State Government, hereby, appoints all District Magistrates in the State as Competent Authority within their district for the purposes of the said Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2015

अधिसूचना

एफ 1–35/2015/स्था./चार.– छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2015) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निक्षेपकों के हितों के संरक्षण के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा** :– इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनियम, 2005;

(ख) "**कलेक्टर**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के उपबंधों के अधीन ऐसे रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(ग) "**राजस्व अधिकारी**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में यथा परिभाषित अधिकारी;

(घ) "**अनुसूची**" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ङ) "**धारा**" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त है, परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है का वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में क्रमशः दिया गया है ।

3. **वित्तीय स्थापना द्वारा कारोबार की सूचना की रीति.**– (1) प्रत्येक वित्तीय स्थापना धारा 6 के अंतर्गत उसके कारोबार (व्यवसाय) की विशिष्टियों की सूचना अनुसूची के प्ररूप–एक में सूचित करेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी प्राप्त सूचनाओं का विवरण अनुसूची के प्ररूप–दो में संधारित रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा।

4. **शिकायतों का अभिलेख.**– सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के अधीन प्राप्त शिकायतों का अभिलेख संधारित करेगा और संबंधित विवरण अनुसूची के प्ररूप–तीन में संधारित रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा।

5. **शिकायत मिलने पर प्रकिया.**– निक्षेपकों से या अन्य प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी वित्तीय स्थापना ने कपटपूर्ण व्यक्तिक्रम किया है अथवा नही इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए ऐसी जांच प्रारंभ कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे :

परंतु यह कि ऐसी जांच के संबंध में सक्षम प्राधिकारी शिकायत की प्रतिलिपि वित्तीय स्थापना को संसूचित कर सकेगा, और वित्तीय स्थापना सक्षम प्राधिकारी को यह संतुष्ट करने की दशा में कि उसने ऐसे निक्षेप, ब्याज, बोनस, लाभ या अन्य किसी रूप में देय राशि का प्रतिसंदाय कर दिया है या ऐसी सुविधाएं दे दी हैं जिसके बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने की अनुमति दे सकेगा।

6. **संपत्ति की कुर्की और विक्रय की प्रक्रिया.**– (1) सक्षम प्राधिकारी कुर्क धन या अन्य सम्पत्ति अभिरक्षा में रखेगा, और कुर्क सम्पत्ति के परिसर में पाये गए किसी अभिलेख, लेखा बहियों, कागजात और दस्तावेज के सुरक्षित रखाव की व्यवस्था करेगा।

(2) यदि विशेष न्यायालय धारा 7 के अधीन जारी अंतःकालीन आदेश को आत्यंतिक बनाने हेतु आदेश देता है या अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई निर्देश जारी करता है, सक्षम प्राधिकारी, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस हेतु प्राधिकृत संबंधित जिले के कलेक्टर के अधीनस्थ कोई राजस्व अधिकारी, कुर्क सम्पत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्र. 5 सन् 1908) के आदेश 21 के अंतर्गत उपबंधित अनुसार विक्रय से करेगा।

(3) कुर्क किए गए धन या अन्य सम्पत्ति की कुर्की, प्रबंधनउ एवं व्ययन के संबंध में समस्त आय और उपगत व्यय का अभिलेख संधारित करेगा, और न्यायालय को यथा अपेक्षित प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव.

अनुसूची
प्ररूप—एक
[नियम 3 (1) देखिए]

कारोबार (व्यवसाय) के विवरण की सूचना

प्रति,

छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित है, सक्षम प्राधिकारी,... (जिला),

छत्तीसगढ़

महोदय,

मैं, ... (नाम व वित्तीय स्थापना में पदनाम), नीचे उल्लिखित वित्तीय स्थापना के कारोबार (व्यवसाय) के निम्नलिखित विवरण एतद्द्वारा सूचित करता हूँ:

1. (क) वित्तीय स्थापना का नाम :

(ख) पंजीकृत मुख्य कार्यालय (पता, फोन नंबर, ई—मेल पता) :

(ग) निगमन का स्वरूप (कंपनी, भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, स्वाम्य प्रतिष्ठान, न्यास (ट्रस्ट), अन्य फर्म (कृपया निर्दिष्ट करें), पंजीकृत सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, अन्य निगमन का पंजीयन करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता, और पंजीयन प्रमाण—पत्र का विवरण (संख्या और दिनांक) :

(घ) वित्तीय स्थापना के प्रबन्धन या कारोबार अथ्वा क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी संप्रवर्तकों, भागीदारों, (यदि वित्तीय स्थापना भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी है), सदस्यों, प्रबधकों और अन्य व्यक्तियों या कर्मचारियों का विवरण :—

स.क्र.	नाम	विवरण (वित्तीय स्थापना के प्रबन्धन या कारोबार अथवा क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी संप्रवर्तक / निदेशक / भागीदारी / सदस्य / प्रबंधक / अन्य व्यक्ति या कर्मचारी)
(1)	(2)	(3)

व्यवसाय	पता	फोन नंबर	ई—मेल पता	पैन नंबर	आधार कार्ड नंबर
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ङ) क्षेत्र जिनमें छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रारंभ पर कारोबार पहले से जारी था :

(च) संबंधित सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में क्षेत्र जिनमें कारोबार प्रारंभ करना प्रस्तावित है :

(छ) एजेंट सहित वे व्यक्ति जो वित्तीय स्थापना की ओर से निक्षेप लेने के लिए अधिकृत हैं :—

अनुक्रमांक	नाम	कर्मचारी है या एजेंट	कार्यक्षेत्र	व्यवसाय	पता	फोन नंबर	ई—मेल पता	पैन नंबर	आधार कार्ड नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

2. सांविधिक वित्तीय क्षेत्र विनियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम / कम्पनियों का रजिस्ट्रार / अन्य केंद्र व राज्य विनियामक (निर्दिष्ट कीजिए) के साथ वित्तीय स्थापना के पंजीयन का विवरण (संख्या और दिनांक) :

3. कर प्राधिकारियों (आय कर अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम और राज्य के मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत) के साथ वित्तीय स्थापना के पंजीयन का विवरण (संख्या और दिनांक) :

4. छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत वित्तीय स्थापना के पंजीयन का विवरण (संख्या और दिनांक) :

5. (क) योजना या समझौते के अधीन या किसी अन्य रीति से प्राप्त किए जा रहे हैं (छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रारंभ होने के समय कारोबार पहले से ही जारी होने की दशा में) या प्राप्त होने वाले (कारोबार प्रारंभ होना प्रस्तावित होने की दशा में) :

(ख) वित्तीय स्थापना की निक्षेप लौटने की योग्यता और क्षमता के समर्थन में विवरण :

6. वित्तीय स्थापना की चल और अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :–

सम्पत्ति का प्रकार	संपत्ति की पहचानकारी विवरण		मूल्य/राशि (रुपए. में)
अचल सम्पत्ति	जिला :		
	तहसील / तालुका :		
	राजस्व ग्राम :		
	सर्वे / खसरा नंबर या नजूल शीट और प्लॉट नंबर :		
	क्षेत्रफल :		
बैंक खातों में निक्षेप, और अन्य निक्षेप	प्रत्येक बैंक का नाम, उसकी शाखा अैर खाता संख्या :		
	अन्य निक्षेप धारित करने वाले निकायों का नाम और पूर्ण विवरण, निक्षेप के पहचानकारी विवरण सहित :		
वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट)	शेयर (प्रत्येक कंपनी और संबंधित डिस्टिंक्तिव नंबर कीजिए) :		
	बॉण्ड (प्रत्येक कंपनी और संबंधित डिस्टिंक्तिव नंबर कीजिए) :		
	अन्य (पूर्ण पहचानकारी निर्दिष्ट कीजिए) :		
अन्य	पहचानकारी विवरण :		

7. विवरण दीजिए वित्तीय स्थापना के बैंकरों और बैंक खातों का संचालन करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों का विवरण :—

स.क्र.	बैंक	शाखा	खाता संख्या	अधिकृत व्यक्ति का नाम	आधार कार्ड नंबर	पैन नंबर	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

फोन नंबर	ई — मेल पता	बैंकर का नाम	बैंकर का पदनाम	शाखा का आई एफ एस सी कोड
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

8. छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आरंभ पर कारोबार कर रही वित्तीय स्थापना के मामले में :

(क) कारोबार, प्रारंभ करने का दिनांक :

(ख) निक्षेपकों से लिए गए निक्षेपों की कुल राशि :

(ग) निक्षेपकों की संख्या :

(घ) जो निक्षेप परिपक्वता पर चुकाये नहीं गए हैं और ब्याज, बोनस, लाभ या अन्य किसी रूप में देय राशि जिस पर व्यतिक्रम किया गया है का विवरण :

निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतिलिपि या (इस सूचना के हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिप्रमाणित) संलग्न हैं :—

(एक) इस सूचना प्ररूप के सरल क्रमांक 1(घ), 1(छ) और 7 में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड

(दो) इस सूचना प्ररूप के सरल क्रमांक 1(ग), 2, 3 और 4 के उल्लिखित पंजीयन प्रमाण—पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज

(तीन) इस सूचना प्ररूप के सरल क्रमांक 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति के स्वत्वधिकार के समर्थन में दस्तावेज

(चार) इस सूचना प्ररूप के सरल क्रमांक 6 में उल्लिखित बैंक खातों की बैंक पासबुक या बैंक विवरणी (स्टेटमेंट) (जो तीन माह से पुराने न हो)

दिनांक :
स्थान :

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....

प्ररूप—दो

[नियम 3(2) देखिए]

प्राप्त सूचनाओं का रजिस्टर

स. क्र.	सूचना प्राप्ति का दिनांक	वित्तीय स्थापना का नाम	वित्तीय स्थापना का पता	कारोबार प्रारंभ करने का दिनांक	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप—तीन

(नियम 4 देखिए)

शिकायतों का रजिस्टर

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	वित्तीय स्थापना का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत है	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	निवर्तन की दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

निवर्तन की विशिष्टियां	अभ्ब युक्तियां
(7)	(8)

Naya Raipur, the 18th September

NOTIFICATION

No. F 1-35/2015/Estt./Four.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005 (No. 24 of 2015), the State Government, hereby, makes the following rules for protection of depositors interest in the State of Chhattisgarh, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Rules, 2015.

   (2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

   (a) "**Act**" means the Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005 (No. 24 of 2015);

   (b) "**Collector**" means a person appointed as such under the provisions of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

   (c) "**Revenue Officer**" means an officer defined as such in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

   (d) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

   (e) "**Section**" means a Section of the Act.

   (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act.

3. **Manner of intimation of business by financial establishment**.– (1) Every financial establishment shall intimate the particulars of its business under Section 6 in Form-I of the Schedule.

   (2) The Competent Authority shall enter the details of intimations received in a register maintained in Form-II of the Schedule.

4. **Record of complaints**.– The Competent Authority shall maintain a record of every complaint received under the Act and shall enter the related details in a register maintained in Form-III of the Schedule.

5. **Procedure on receipt of complaint**.– (1) On receipt of a complaint from depositors or otherwise, the Competent Authority may initiate such inquiry as he may deem necessary to satisfy himself as to whether or not any financial establishment has fraudulently defaulted:

   Provided that in relation to such inquiry, the Competent Authority may communicate a copy of the complaint to the financial establishment, and in case the financial establishment satisfies the Competent Authority that it has repaid such deposit, interest, bonus, profit or dues in any other form or rendered such services in

respect of which the complainant was made, the Competent Authority may permit the complainant to withdraw the complaint.

6. **Procedure for attachment and sale of property**.– (1) The Competent Authority shall keep in custody all money or other property attached, and shall arrange for the safe-keeping of any records, books of account, papers and documents found on the premises of attached property.

(2) If the Special Court passes an order making an ad-interim order of attachment issued under Section 7 absolute or issues any direction under the provisions of the Act, the Competent Authority, or any Revenue Officer sub-ordinate to the Collector of the district concerned whom the Competent Authority may authorize in this behalf, shall dispose of the property attached by sale as provided under Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908).

(3) The Competent Authority shall maintain a record of all the income received and expenditure incurred in relation to the attachment, management and disposal of money or other property attached, and shall furnish the same to the Special Court as required.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Special Secretary.

SCHEDULE

FORM-I

[See rule 3(1)]

INTIMATION OF DETAILS OF BUSINESS

To,

The Competent Authority notified under the Chhattisgarh Protection of Interest of Depositors Act, 2005,

.... (District),

Chhattisgarh.

Sir,

I, ... (name and designation in financial establishment), hereby intimate the following details of business of the financial establishment mentioned below:-

1. (a) Name of the financial establishment:

(b) Registered head office (address, phone number and email address):

(c) Form of incorporation (company, partnership firm, limited liability partnership, proprietary concern, trust, other firm (please specify), registered society, co-operative society, etc.), name and address of the authority registering the incorporation, and details of the certificate of registration (number and date):

(d) Details of the financial establishment's promoters, directors, partners (in case the financial establishment is a partnership firm or a limited liability partnership), members, managers and other persons or employees responsible for the management or conduct of the business or affairs of the financial establishment:-

S. No.	Name	Description (promoter / director / partner / member / manager / other person or employee responsible for the management or conduct of the business or affairs of the financial establishment)
(1)	(2)	(3)

Occupation	Address	Phone number	E-mail ID	PAN number	Aadhar card number.
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(e) Areas in which business is already being carried on at the commencement of the Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005:

(f) Areas in the jurisdiction of the addressed Competent Authority in which business is proposed to be commenced:

(g) Persons, including agents, authorised to receive deposits on behalf of the financial establishment:-

S. No.	Name	Whether employee or agent	Area of operation	Occupation	Address	Phone number	E-mail ID
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

PAN number	Aadhar card number
(9)	(10)

2. Details (number and date) of registration of the financial establishment with statutory financial sector regulators [Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Registrar of Companies / Other National or State regulator (specify)]:

3. Details (number and date) of registration of the financial establishment with tax authorities (under Income Tax Act, Central Excise Act, Central Sales Tax and Value Added Tax Act):

4. Details (number and date) of registration of the financial establishment under the Chhattisgarh Shops and Establishments Act, 1958:

5. (a) Details of the scheme or arrangement or any other manner in which deposits are being received (in case business is already being carried on at the commencement of the Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005) or will be received (in case business is proposed to be commenced):

   (b) Details in support of the financial establishment's capability and capacity to return deposits:

6. Complete details of movable and immovable property of the financial establishment:-

Type of property	Identifying details of property		Value/amount (in Rupees)
Immovable property	District:		
	Tehsil / Taluka:		
	Revenue village:		
	Survey/khasra No. or Nazul sheet and plot number:		
	Area:		
Deposits in bank accounts and other deposits	Name of each bank, its branch and every account number:		
	Name and full description of other deposit-holding bodies, with identifying details of the deposits:		

Financial instruments	Shares (specify each company and respective distinctive number):		
	Bonds (specify each company and respective distinctive number):		
	Other (specify full identifying details):		
Others	Identifying details:		

7. Details of bankers and persons authorised to operate the bank accounts of the financial establishment:-

S. No.	Bank	Branch	Account number	Name of person authorised	Aadhar card number	PAN number	Address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Phone	E-mail ID	Name of banker	Designation of banker	IFSC code of branch
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

8. In case of financial establishment carrying on business at the commencement of the Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005:-
   (a) Date of commencement of business:
   (b) Total amount of deposits taken from depositors:
   (c) Number of depositors:
   (d) Details of deposits not repaid on maturity and interest, bonus, profit or dues in any other form defaulted upon:

Copies (attested by the signatory of this intimation) of the following documents are attached:-

(i) Aadhar card and PAN card of each person referred to in serial number 1(d), 1(g) and 7 of this intimation form

(ii) Registration certificate and other related documents referred to in serial number 1(c), 2, 3 and 4 of this intimation form

(iii) Documents in support of title to immovable property referred to in serial number 6 of this intimation form

(iv) Bank passbook or bank statement (not more than three months old) of bank accounts referred to in serial number 6 of this intimation form.

Date:
Place:

Signature of authorized person
Name:
Designation:

FORM-II

[See rule 3(2)]

REGISTER OF INTIMATIONS RECEIVED

S. No.	Date of receipt of intimation	Name of financial establishment	Address of the financial establishment	Date of commencement of business	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FORM-III

(See rule 4)

REGISTER OF COMPLAINTS

S. No.	Name and address of complainant	Date of receipt of complaint	Name of financial establishment complained against	Brief description of complaint	Date of disposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Particulars of disposal	Remarks
(7)	(8)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.